राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 2491/2024

अनुराग यादव —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, राजस्व, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, राजस्व (ग्रुप–1), जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 05.08.2024
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की गई।
2. प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.06.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी जो कि पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में मुख्यालय राजस्व मंडल, अजमेर था, को निलम्बित किया जाकर मुख्यालय जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा किया गया। पटवारी, सावरदा द्वारा तहसीलदार, मौजमाबाद के मौखिक आदेश की अनुपालना में दिनांक 25.10.2023 (अनुलग्नक–2) को ग्राम सावरदा के खाता संख्या 40 के आ0 ख0 नम्बर 3634, 3635, 3637, 3638, 4303/3633 कुल रकबा 3.53 हैक्टर बारानी पर पहुंच कर बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के व बिना कृषि भूमि को रूपान्तरण के किए बिना हो रहे चार दिवारी निमार्ण कार्य को रूकवाया जाकर पाबंद किया गया, की फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। दिनांक 26.10.2023 को तहसीलदार साहब की उपस्थिति में पाबंद किये जाने के बावजूद हो रहे नये निर्माण कार्य को रूकवाया गया व नये निर्माण कार्य को हटवाया गया। पटवारी सावरदा द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई (अनुलग्नक–3)। खातेदार द्वारा जिला कलेक्टर को अपीलार्थी की शिकायत की जाकर राजनीतिक दबाव डाला गया। जिसकी अनुपालना में जिला कलेक्टर दूदू द्वारा प्रकरण में स्टेट्स

रिपोर्ट चाहे जाने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 18.12.2023 (अनुलग्नक–4) को जिला कलेक्टर, दूदू को बिन्दुवार रिपोर्ट प्रेषित की गई। शुरू स्टोन्स एलएलपी के मुक्त्यारआम द्वारा दिनांक 19.12.2023 (अनुलग्नक–5) के द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व, जयपुर को पत्र शिकायत की गई कि बाउण्ड्री दुरूस्त करने की कोशिश की तो बिना किसी नोटिस के सुबह जेसीबी ले जाकर बाउण्ड्री तुड़वा दी, जबकि हमने बाउण्ड्री वाल निर्माण व दुरूस्ती का आवेदन भी तहसील कार्यालय में कर रखा है जिसकी परमिशन अभी तक हमें नहीं मिली। आये दिन हमें परेशान करते रहते है। प्रत्यर्थी संख्या 2 के पत्र दिनांक 19.12.2023 (अनुलग्नक–6) के द्वारा जिला कलेक्टर दूदू को प्रेषित कर श्री दिनेश राय भाटी, ग्राम सावरदा तह. मौजमाबाद जिला दूदू से प्राप्त प्रार्थना पत्र की छायाप्रति संलग्न कर प्रकरण की जांच कर, जांच रिपोर्ट मय टिप्पणी तत्काल चाही गई। अतिरिक्त जिला कलेक्टर, दूदू के पत्र दिनांक 20.12.2023 (अनुलग्नक–7) के द्वारा अपीलार्थी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक, मौखमपुरा, पटवारी हल्का, सावरद, को दिनांक 21.12.2023 को दोपहर 1.30 बजे अपना पक्ष रखने के लिए बुलवाया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.12.2023 को लिखित बयान जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये गये (अनुलग्नक–8)। जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 26.12.2023 को अपनी जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक–9) शिकायती पत्र में निर्धारित किये गये बिन्दुओं संख्या 1(1), 2, 3 में तहसीलदार मौजमाबाद एवं बिन्दु संख्या 2 के लिए हल्का पटवारी सावरदा दोषी पाये गये है। दोषी अधिकारी कर्मचारी के विरूद्ध सिविल सेवा अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा सहित जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर, दूदू को प्रेषित की गई। जिला कलक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट प्रत्यर्थी विभाग को प्रेषित की गई। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.06.2024 (अनुलग्नक–12) के द्वारा निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर को लिखा जाकर तत्कालीन तहसीलदार मौजमाबाद, जिला दूदू के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में जिला कलक्टर दूदू द्वारा प्रेषित रिपोर्ट में तहसीलदार को दोषी पाया गया है। अतः तहसीलदार के निलम्बन आदेश आज ही जारी कर तहसीलदार के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित कर इस विभाग को अवगत कराने के लिए लिखा गया।

3. जिसकी अनुपालना में प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश दिनांक 25.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया था, के संदर्भ में अपीलार्थी द्वारा अपना स्पष्टीकरण (अनुलग्नक–10) के द्वारा अध्यक्ष राजस्व मण्डल, अजमेर को

प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 18.06.2024 (अनुलग्नक–11) के द्वारा उक्त प्रकरण के 09 माह पश्चात् अपीलार्थी को पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर किया गया। अपीलार्थी द्वारा स्थानान्तरण आदेश दिनांक 22.02.2024 के विरूद्ध माननीय अधिकरण में अपील संख्या 494/2024 दायर की गई, में पारित आदेश दिनांक 05.03.2024 (अनुलग्नक–13) द्वारा स्थानान्तरण पर स्थगन आदेश पारित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.03.2024 (अनुलग्नक–14) को जिला कलक्टर दूदू को अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु पत्र दिया गया। माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 05.03.2024 की पालना में दिनांक 06.03.2024 को तहसीलदार मौजमाबाद के पद पर कार्यग्रहण कर प्रतिवेदन जिला कलक्टर दूदू को दिनांक 07.03.2024 को प्रेषित किया गया। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.06.2024 को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करें कि उपरोक्त परिस्थितियों एवं साक्ष्य को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी के पक्ष में आदेश प्रसारित करें।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का पुरजोर विरोध करते हुए कथन किया है कि राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ने दिनेश राय भाटी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2023 में अंकित तथ्यों की जांच कराये जाने हेतु जिला कलक्टर, दूदू को शिकायत प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में जिला कलक्टर, दूदू ने अति० जिला कलक्टर, दूदू को जाचं अधिकारी नियुक्त किया जाकर जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर प्राप्त जांच रिपोर्ट को पत्र दिनांक 26.12.2023 द्वारा संयुक्त शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) विभाग को प्रेषित करते हुए दोषी अधिकारी के विरूद्ध सिविल सेवा अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की गयी। जिस क्रम में विशिष्ट शासन सचिव राजस्व (ग्रुप–1) विभाग जयपुर के पत्र दिनांक 18.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने के निर्देश प्रदान किये जाने के क्रम में राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 18.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी तहसीलदार को आदेशों के प्रतीक्षाधीन किया जाकर मुख्यालय राजस्व मण्डल अजमेर निर्धारित किया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के संबंध में अपीलार्थी को दोषी पाये जाने के फलस्वरूप विशिष्ट शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ने पत्र दिनांक 25.06.2024 द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित करने के आदेश जारी करने एवं

अपीलार्थी के विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित किये जाने हेतु लिखा गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी को सीसीए नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मण्डल के आदेश दिनांक 25.06.2024 द्वारा निलम्बित कर किया जाकर मुख्यालय जिला कलक्टर, बांसवाडा निर्धारित किया गया। अपीलार्थी का यह कथन पूर्णतया निराधार है कि दुर्भावनापूर्ण आशय से अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर दूदू के द्वारा की गई जांच में अपीलार्थी के दोषी पाये जाने पर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया। अपीलार्थी को आदेश दिनांक 18.06.2024 के द्वारा अपीलार्थी का मौजमाबाद से राजस्व मण्डल मुख्यालय, अजमेर में आदेशों की प्रतीक्षा में उपस्थिति देने हेतु निर्देशित किया गया था, के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 2061/2024 दायर की गई। उक्त प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत किया जा चुका है तथा इस प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.08.2024 नियत है। अतः अपील खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्व (ग्रुप–1) विभाग ने दिनेश राय भाटी से प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2023 में अंकित तथ्यों की जांच हेतु जिला कलक्टर दूदू को प्रेषित करने पर जिला कलक्टर, दूदू ने अति० जिला कलक्टर, दूदू को जाचं अधिकारी नियुक्त किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा जांच की जाकर जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी के दोषी पाया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अभिशंषा करते हुए जांच रिपोर्ट जिला कलक्टर को प्रेषित की गई। जिला कलक्टर द्वारा जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की गई। राज्य सरकार द्वारा उनके पत्र दिनांक 25.06.2024 द्वारा निबंधक, राजस्व मण्डल अजमेर को अपीलार्थी के जांच रिपोर्ट में दोषी पाये जाने पर निलम्बित करने एवं उनके विरूद्ध विभागीय जांच कार्यवाही संस्थित करने की कार्यवाही से विभाग को अवगत कराने के निर्देश दिये गये, जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी को सीसीए नियम–13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 के आदेश दिनांक 25.06.2024 द्वारा सक्षम अधिकारी ने नियमानुसार निलम्बित कर अपीलार्थी द्वारा विभागीय जांच कार्यवाही को किसी प्रकार से

प्रभावित न कर सके, को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय जिला कलक्टर बांसवाड़ा में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है, इसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना एवं विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य